

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट खिनानियां)

1. विजयसिंह पुत्र धनराज जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम

1. राजेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
2. धर्मपाल पुत्र मनफूलराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
3. दीपा पत्नी स्व. धनराज जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
4. सरेता उर्फ सुनिता पुत्री स्व.धनराज पत्नी सन्तलाल जाट निवासी उज्जलवास तह. नोहर।
5. सतवीर पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
6. विनोद पुत्र प्रेमकुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी।
7. ममता पुत्री धर्मपाल पत्नी रोहताश जाट निवासी जाण्डवाला तह व जिला फतेहाबाद।
8. सुमन पुत्री धर्मपाल पत्नी विनोद जाट निवासी जाण्डवाला तह. व जिला फतेहाबाद।
9. नत्थूराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी। -प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-317/2018

अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-29.6.2018

वादी की ओर से श्री अब्दुल सत्तार जोईया एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरबंशसिंह एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-चक नं. 21 केएनएन खाता संख्या 163/77 चक नं. 19 केएनएन खाता संख्या 53/47 व 54/91 में सरेता पुत्री धनराज के नाम से दर्ज आराजी के वादी एवं प्रतिवादीया दीपा बहिब के खातेदार काश्तकार तथा उपरोक्त खातों में धर्मपाल के नाम से दर्ज आराजी के प्रतिवादी राजेश व प्रतिवादी धर्मपाल बहिब के खातेदार काश्तकार तथा इसके अलावा चक नं. 21 केएनएन के प.नं.280/373 मु.नं. 35 कि.नं.16,17 कुल 0.506 है. मय गैर मुमकिन में से 1/3 हिस्सा के वादी विजयसिंह व प्रतिवादीया दीपा बहिब 1/3 हिस्सा के प्रतिवादी राजेश व प्रतिवादी धर्मपाल बहिब तथा बाकी 1/3 हिस्सा के प्रतिवादी सतवीर व प्रतिवादी विनोद बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीया सरेता, ममता व सुमन का नाम उक्त खातों में से कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है व प्रतिवादी नत्थूराम का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन किय जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 29.6.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत खिनानियां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्च

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1100/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6. कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1100/-	जोड़	0